न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 522 सन 2017

अनवान :–

1. रसीदा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर

वादीया

बनाम

1. रोशन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर।
2. रफीक पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीया

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रति–.1 ,2

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/06/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया क वादीया के दादा गन्नी खां पुत्र सुलेमान जाति कुम्हार निवासी नोहर की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए में प0न0 308/335(18) के किला न0 3 ता 8 प्रत्येक की 0.253हैक प0न0 308/437(42) के किला न0 21/0.2530 , प0न0 307/437(43) के किला न0 14 ता 17 ,24 ,25 प्रत्येक की 0.2530हैक कुल 3.2890हैक व इसी चक 1 एनएचआर ए के प0न0 307/437(43) के किला न0 18 ता 23 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 306/437 (44) के किला न0 25/0.2530 , प0न0 306/438(57) के किला न0 5/0.1771हैक प0न0 307/437(58) के किला न0 1/0.2227हैक मु0न0 79/10 के किला न0 1 की 0.0506हैक 81/4 के किला न0 21 की 0.506हैक कुल 2.2770हैक भूमि के खातेदार काश्तकार थे।

मु0 गन्नी खां की मृत्यू के पश्चात उनकी उक्त भूमि गन्नी के पाच वारिसानों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वादीया के पिता मेहरदीन की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण जो कि वादीया के सगे भाई है ने षडयत्र पूर्व वादीया को धोखे में रखकर नगरपालिका नोहर से साजिसाना गलत तौर से वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाकर वादीया जो भी हक हिस्सा था अपने नाम दर्ज करवा लिया है।

वादीया के पिता की मृत्यू के पश्चात वादग्रस्त भूमि जो कि वादीया के पिता के 1/5 हिस्सा में से वादीया 1/4 हिस्सा बनता है की हकदार व खातेदार काश्तकार है मगर प्रतिवादीगण ने साजिश पूर्वक उक्त हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसे वादीया दुरूस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वो वादग्रस्त भूमि में से अपना हक हिस्सा कलमजन करवाकर वादीया के हक हिस्सा की भूमि वादीया के नाम दर्ज करवा देवे जिस पर कई दिनों तक तो आज कल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया [illegible] कि [illegible] वादग्रस्त भूमि जो अर्जीदावा की मद संख्या 2 में दर्ज में मेहरदीन के [illegible] का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ बहिब दर्ज फरमाया जावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज [illegible]जिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया के साथ राजीनामा किया जाकर राजीनामा पेश किया की प्रतिवादीगण के नाम 3/7 हिस्सा भूमि दर्ज है के साथ बहिब में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है वादीया एव प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर वाद वादीया दिनांक 18.05.2012 को डिक्री किया गया था।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2012 के विरूद्व प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त दिनांक 16.03.2017 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 18.05.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की उभयपक्षों को उक्त दोनो राजीनामा को ध्यान में रखते हुए एवं समस्त पक्षकारान को वाद में पक्षकार बनाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे ।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को तलब किया गया वादीया जरिये अधिवक्ता रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित आई एवं प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित आये

प्रतिवादीगण ने वादीया के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आश्य का पेश किया की

प्रतिवादीगण /उत्तरदाता के दादा गन्नीखां पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान कुम्हार फोत हो चुके है तथा उसके फोत होने के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके सात वारिसान पर औद हुई तथा उसके बाद उनकी दो पुत्रीयो रेशमी व बशीरा ने अपना हक हिस्सा हनीफ खा पुत्र गन्नी मोहम्मद व रोशन , रफीक पुत्र मेहरदीन के पक्ष में 1/2 – 1/2 हिस्सा परित्याग कर दिया तथा वादीया की दादा साहिबा पत्नी गन्नीखां एव बलकीशा उर्फ मलकीशा पुत्री गन्नी खा ने उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा दिनांक 05.12.2005 को अपने सगे पुत्र व भाई हनीफ एव दो पोतो एवं भतिजों के पक्ष में परित्याग कर दिया चुकि दावा दायरी से पहले मेहरदीन फोत हो चुका तब उनकी दादी एवं बुआ ने अपना हक हिस्सा मेहरदीन के पुत्रगण रफीक व रोशन के पक्ष में परित्याग कर दिया था।

रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 57/53 की कुल 2.2270हैक भूमि में उतरादाता की माता हुसना पत्नी मेहरदीन में से 1/3 हिस्सा बनता था तथा उतरदाता की माता हुसना पत्नी मेहरदीन ने अपना हक व हिस्सा उतरदाता के पक्ष में दिनांक 05.12.2005 को त्याग कर दिया था उक्त भूमि प्रतिवादीगण /उतरदाता को दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है।

वादीया द्वारा दावा में मेहरदीन के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है तथा वादीया ने अपनी बहन हलीमा को पक्षकार नही बनाया गया है तथा ना ही राजीनामा में हलीका के कही हस्ताक्षर है वादीया ने केवल मात्र अपना हिस्सा दर्ज करवाना चाहती है तथा पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण वाद वादीया खारिज योग्य है।

वादीया एवं उतरदाता के मध्य दिनांक 27.03.2022 को पारिवारिक समझौता जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुद्वा है तथा राजीनामा के अनुसार वादगस्त भूमि के प0न0 307/438 के किला न0 1 की पश्चिमी दिशा में 8250 वर्गफुट भूमि दी गई है तथा शेष भूमि उतरदाता को खातेदार काश्तकार माना है इसलिये मुताबिक राजीनामा के खातेदार काश्तकार घोषित /दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीया का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 1 एनएचआ[illegible] खाता संख्या 177/173 की कुल 3.2890हैक में उतरदाता संख्या 1[illegible] काश्तकार एव रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खात[illegible] प0न0 307/438 के किला न0 1 की पश्चिम दिशा में 08250वर्गफुट भूमि की वा[illegible] खातेदार काश्तकार एव शेष भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 खातेदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब काउन्टर क्लेम पेश किया की

वादीया आज भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है जो वादीया को अपने पिता की भूमि में हक व हिस्सा पक्षकारों के राजीनामा से प्राप्त हुआ है वादीया को वादग्रस्त भूमि राजीनामा दिनांक 27.03.2012 पेश होने के उपरान्त भूमि प्राप्त हुई है जो आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा डिक्री दिनांक 18.05.2012 की अपील अपीलान्ट कोर्ट मे पेश कर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया गया है जो बिना वादीया को कोई सूचना के न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का राजीनामा हुआ था वह पत्रावली में पेश किया गया था भूमि से वादीया को कृषि भूमि प्राप्त होती है उसमें प्रतिवादीगण इन्कार करते है वादीया सिर्फ अपना हक हिस्सा लेना चाहती है जो अपने भाईयो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज था जिनका आपस में राजीनामा हुआ था अब प्रतिवादी इस बात को नही कह सकते है कि सभी पक्षकार नही बनाये राजीनामा आपसी सहमति से हुआ था तब यह नही कहा था कि सिर्फ प्रतिवादी के मन में लालच आ गया था प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.03.2022 को परिवारिक समझौता होना बताया है जो कभी हुआ ही नही है यदि दिनांक 27.03.2022 को ऐसा समझौता हुआ है तो पेश करते सिर्फ मौखिक कह देने से नही हो सकता है ना ही इस तरह का राजीनामा पत्रावली में पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीया के भाई है जिनका श्रीमान अदालत में दिनांक 27.03.2012 को सभी पक्षकारों व गवाह उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण व वादीया आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का अब राजीनामा पर ऐतराज नही कर सकते है और न ही कभी ऐतराज किया है वह आज भी बहाल है और स्वीकार है जिसे वादीया को भूमि प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के जबाब मय काउन्टर क्लेम में दिनांक 27.03.2022 को पक्षकारो का आपसी परिवारिक समझौता नोटेरी से तस्दीक बताया है वह दिनांक 27.03.2022 को हुआ ना ही पत्रावली में पेश है प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा के मुताबिक दिनांक 17.03.2012 खातेदार काश्तकार घोषित करना बताया है वह राजीनामा दिनांक 27.03.2012 को अदालत में दिनांक 28.03.2012 को पेश हुआ जिसमें सभी पक्षकार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 तथा गवाह व वकील की उपस्थिति में तस्दीक करवाया गया है उस राजीनामा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है जो सही है।

प्रतिवादीगण ने अपील में तथा जबाब काउन्टर क्लेम में मुदा उठाया है कि सभी पक्षकारों को वाद में पक्षकार नही बनाया हे तो प्रतिवादीगण ने अपील में पक्षकार बना सकते थे लेकिन नही बनाया कौन कौन पक्षकार बाकी हैं कुछ भी दर्ज नही किया सिर्फ पक्षकारो का अभाव ही यह दर्ज किया है न्यायालय में दो वाद प्रतिवादीगण की तरफ से विचाराधीन है उसमें बहन हलीमा पुत्र मेहरदीन व माता हुसना पत्नी मेहरदीन का हिस्सा प्रतिवादीगण के पक्ष में परित्याग बताया हे तो उनकों पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है

अतः जवाबुल जबाब पेश कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम मय अनुतोष खारिज फरमाया जावे तथा वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री दिनांक 18.05.2012 का फैसला सही है की घोषण की जावे।

प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम एव वादीया का जबाब काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

1. आया कि वादीया रोही मौजा [illegible] एनएचआर ए की भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 [illegible] भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 [illegible] काश्तकार है।? वादीया
2. आया कि वादीया प्रतिवादीगण [illegible]या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे।? वादीया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. आया कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 3.2890हैक्ट भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है में उतरदाता संख्या 1 ,2 बहिब 3/7 हिस्से व रोही मोजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 178/174 के प0न0 307/438 के किला न0 1 के पश्चिम दिशा में 0.8250 वर्गफुट भूमि की वादीया व शेष भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है कि घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।? प्रतिवादीगण

4. आया कि वादीया प्रतिवादगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। ? प्रतिवादी

5. दादरसी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्यवादी में स्वय के ब्यान करवाये गये जिरह प्रतिवादीगण के द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 से 4 ब्यान करवाये गये जिरह वादीया के द्वारा की गई। उभयपक्षों से साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद एव जबाब काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया आज भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है जो वादीया को अपने पिता की भूमि में हक व हिस्सा पक्षकारों के राजीनामा से प्राप्त हुआ है वादीया को वादग्रस्त भूमि राजीनामा दिनांक 27.03.2012 पेश होने के उपरान्त भूमि प्राप्त हुई है जो आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा डिक्री दिनांक 18.05.2012 की अपील अपीलान्ट कोर्ट मे पेश कर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया गया है जो बिना वादीया को कोई सूचना के न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का राजीनामा हुआ था वह पत्रावली में पेश किया गया था भूमि से वादीया को कृषि भूमि प्राप्त होती है उसमें प्रतिवादीगण इन्कार करते है वादीया सिर्फ अपना हक हिस्सा लेना चाहती है जो अपने भाईयो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज था जिनका आपस में राजीनामा हुआ था अब प्रतिवादी इस बात को नही कह सकते है कि सभी पक्षकार नही बनाये राजीनामा आपसी सहमति से हुआ था तब यह नही कहा था कि सिर्फ प्रतिवादी के मन में लालच आ गया था प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.03.2022 को परिवारिक समझौता होना बताया है जो कभी हुआ ही नही है यदि दिनांक 27.03.2022 को ऐसा समझौता हुआ है तो पेश करते सिर्फ मौखिक कह देने से नही हो सकता है ना ही इस तरह का राजीनामा पत्रावली में पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीया के भाई है जिनका श्रीमान अदालत में दिनांक 27.03.2012 को सभी पक्षकारों व गवाह उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण व वादीया आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का अब राजीनामा पर ऐतराज नही कर सकते है और न ही कभी ऐतराज किया है वह आज भी बहाल है और स्वीकार है जिसे वादीया को भूमि प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के जबाब मय काउन्टर क्लेम में दिनांक 27.03.2022 को पक्षकारो का आपसी परिवारिक समझौता नोटेरी से तस्दीक बताया है वह दिनांक 27.03.2022 को हुआ ना ही पत्रावली में पेश है प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा के मुताबिक दिनांक 17.03.2012 खातेदार काश्तकार घोषित करना बताया है वह राजीनामा दिनांक 27.03.2012 को अदालत में दिनांक 28.03.2012 को पेश हुआ जिसमें सभी पक्षकार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 तथा गवाह व वकील की उप[illegible] तस्दीक करवाया गया है उस राजीनामा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण ने अपील में तथा [illegible] काउन्टर क्लेम में मुदा उठाया है कि सभी पक्षकारों को वाद में पक्षकार नही बनाया हे त[illegible]प्रतिवादीगण ने अपील में पक्षकार बना सकते थे लेकिन नही बनाया कौन कौन पक्षकार बाकी है कुछ भी दर्ज नही किया सिर्फ पक्षकारो का अभाव ही यह दर्ज किया है न्यायालय में दो वाद प्रतिवादीगण की तरफ से विचाराधीन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है उसमें बहन हलीमा पुत्र मेहरदीन व माता हुसना पत्नी मेहरदीन का हिस्सा प्रतिवादीगण के पक्ष में परित्याग बताया हे तो उनकों पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है

अतः जवाबुल जबाब पेश कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम मय अनुतोष खारिज फरमाया जावे तथा वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री दिनांक 18.05.2012 का फैसला सही है की घोषण की जावे।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगण /उत्तरदाता के दादा गन्नीखां पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान कुम्हार फोत हो चुके है तथा उसके फोत होने के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके सात वारिसान पर औद हुई तथा उसके बाद उनकी दो पुत्रीयो रेशमी व बशीरा ने अपना हक हिस्सा हनीफ खा पुत्र गन्नी मोहम्मद व रोशन , रफीक पुत्र मेहरदीन के पक्ष में 1/2 – 1/2 हिस्सा परित्याग कर दिया तथा वादीया की दादा साहिबा पत्नी गन्नीखां एव बलकीशा उर्फ मलकीशा पुत्री गन्नी खा ने उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा दिनांक 05.12.2005 को अपने सगे पुत्र व भाई हनीफ एव दो पोतो एवं भतिजों के पक्ष में परित्याग कर दिया चुकि दावा दायरी से पहले मेहरदीन फोत हो चुका तब उनकी दादी एवं बुआ ने अपना हक हिस्सा मेहरदीन के पुत्रगण रफीक व रोशन के पक्ष में परित्याग कर दिया था।

रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.2890हैक्ट व रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 57/53 की कुल 2.2270हैक्ट भूमि में उतरादाता की माता हुसना पत्नी मेहरदीन में से 1/3 हिस्सा बनता था तथा उतरदाता की माता हुसना पत्नी मेहरदीन ने अपना हक व हिस्सा उतरदाता के पक्ष में दिनांक 05.12.2005 को त्याग कर दिया था उक्त भूमि प्रतिवादीगण /उतरदाता को दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है।

वादीया द्वारा दावा में मेहरदीन के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है तथा वादीया ने अपनी बहन हलीमा को पक्षकार नही बनाया गया है तथा ना ही राजीनामा में हलीका के कही हस्ताक्षर है वादीया ने केवल मात्र अपना हिस्सा दर्ज करवाना चाहती है तथा पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण वाद वादीया खारिज योग्य है।

वादीया एवं उतरदाता के मध्य दिनांक 27.03.2022 को पारिवारिक समझौता जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुद्वा है तथा राजीनामा के अनुसार वादगस्त भूमि के प0न0 307/438 के किला न0 1 की पश्चिमी दिशा में 8250 वर्गफुट भूमि दी गई है तथा शेष भूमि उतरदाता को खातेदार काश्तकार माना है इसलिये मुताबिक राजीनामा के खातेदार काश्तकार घोषित /दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

1. आया कि वादीया रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए की भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है में मेहरदीन के नाम दर्ज भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।? वादीया

तनकी न. 1 का साबित करने का भार वादीया पर था वादीया का कथन है कि वाद की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि उनके पूर्वज गन्नीखा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीया के पिता मेहरदीन के नाम दर्ज हुई थी जिसमें वादीया का हक हिस्सा था जिसे प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया था जिसकी घोषणा का वाद प्रस्तुत होने पर वाद में प्रतिवादीगण ने राजीनाम पेश होने पर वाद वादीया डिक्री किया गया उसी के अनुसार वादीया प्रतिवादीगण के साथ बहिब की खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है जो सही रूप से दर्ज है

प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी[illegible]साथ एक ही दिन में दो राजीनामा हुए थे एक राजीनाम वादीया ने [illegible]बाद डिक्री करवाया गया था किन्तु दुसरा परिवारिक स[illegible] था जिसे न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया जिस पर अपील कर पूर्व राजीना[illegible] के आधार पर वादीया ने भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया गये अंकिन की डिक्री को निरस्त करवाया गया है। वादीया अपने हक हिस्सा के अनुसार द्वितीय राजीनाम के अनुसार भूमि पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

वादीया एव प्रतिवादीगण दोनो की राजीनामा को आधार बना कर भूमि दर्ज करवाने का निवेदन कर रहे है वादीया प्रथम राजीनामा जो न्यायालय में पेश हुआ था उसे सही मान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये अकन को सही बता रही है और प्रतिवादीगण द्वितीय राजीनामा जो न्यायालय में पेश नही हुआ जो नोटेर पब्लिक से तस्दीक है को सही मान कर भूमि दर्ज करवाने का अनुतोष कर रहे है।

वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य एक ही दिन में दो राजीनामा /परिवारिक समझौता होना न्यायोचित नही है यदि किसी पक्षकारो का आपस में राजीनामा हो जाता है तो वह एक ही लिखित की जानी चाहिये थे एक से अधिक राजीनामा लिखने राजीनामा का महत्व ही समाप्त हो जाता है व अनावश्यक कानूनी पैचीदगया बढती है

हस्तगत प्रकरण में दो राजीनामा है जो पत्रावली में उपलब्ध है वादीया एव प्रतिवादीगण अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राजीनामा को सही बता रहे है दोनो ही पक्षकारो के राजीनामा को स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नही है।

यहाँ यह उल्लेखनिय है कि जहाँ पक्षकारो के मध्य एक से अधिक राजीनामा हो और पक्षकारो के मध्य आपस में राजीनामा को लेकर विवाद है ऐसी स्थिति में कानुन /विधि के अनुसार जो हक हिस्सा बनता है के अनुसार वादीया एव प्रतिवादीगण को दिया जाना न्यायोचित है राजीनामा उभयपक्षों के मध्य सहमति का प्रतीक होता है ना की विवाद का हस्तगत प्रकरण में राजीनामा ही विवाद पैदा कर रहा है ऐसी सुरत में दोनो राजीनामा को इग्नोर किया जाकर विधि सम्मत हक हिस्सा उभयपक्ष पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पूर्वज गन्नी खां पुत्र सुलेमान के नाम से दर्ज थी गनी खां रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के दोनो खाता में कुल 5.566हैक भूमि अर्थात 22.00 बीधा भूमि दर्ज थी गन्नी खां के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान निम्नप्रकार से हुए

साहिबा पत्नी गन्नी खां , जुलेखा , मलकीशा , बसीरा , रेशमा ,चार पुत्रीया और हनीफ , मेहरदीन दो पुत्र अर्थात गन्नीखा के नाम दर्ज भूमि के पत्नी , पुत्र पुत्रीया सात वारिस हुए गन्नी खॉ के नाम दर्ज भूमि उसके सातों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही होने पर बहिब प्रत्येक 3.00 बीधा भूमि के हकदार हुए और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

गन्नीखां की पुत्री मलकीशा , रेशमा , बसीरा एव गन्नी की पत्नी साहिबा चारो ने अपना हक हिस्स मेहरदीन , हनीफ भाई/पुत्र के पक्ष मे परित्याग कर दिया था , जुलेखा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नही किया गया था

उपरोक्त हकत्याग के उपरान्त गन्नीखां के वारिसान के जुलेखां के पास 3.03 बीधा, मेहरदीन के पास 9.18 बीधा , हनीफ के पास 9.18 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी

मेहरदीन के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान उसकी पत्नी हुसना , पुत्रीया हलीमा , रसीदा व पुत्र रफीक , रोशन हुए

मेहरदीन के वारिसान पुत्री रसीदा जो की वादीया है एव पुत्र रोशन एव रफीक है जो प्रतिवादीगण है तथा हलीमा को वादीया ने अपने वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया है वादीया ने वाद अपने हकों की घोषणा के लिये पेश किया है इसलिये पक्षकार नही बनाने का कथन किया है जो उचित नही है वाद में सभी पक्षकारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है चाहे उसके विरूद्व अनुतोष हो या ना हो ।

वादीया ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के लिये वाद पेश किया गया था जिसमें राजीनामा एक से अधिक होने के कारण दोनो ही राजीनामा को विधिसम्म्त नही माना जाकर कानुनन हक हिस्सा प्राप्त करने के [illegible] है।

वादीया अपने पिता [illegible] की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है ना की उसके पिता को उसकी [illegible] /माता से हक त्याग के बाद प्राप्त हुई भूमि में से वादीया केवल अपने पिता मेहरदीन के हक हिस्सा में से भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मेहरदीन को अपने पिता से विरास्तान से 3.03 बीधा भूमि प्राप्त होती हैं वादीया इस भूमि में से अपने हकों की घोषणा करवाने की अधिकारी है वादीया एव प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित है अर्थात वादीया मुस्लिम विधि के अनुसार जो हक हिस्सा होता हैं वह प्राप्त करने की अधिकारी है

मुस्लिम विधि के अनुसार पुरूषो का कुल भूमि में 2/3 हिस्सा एव समस्त पुत्रीयो का 1/3 हिस्सा होता है अर्थात मेहरदीन के हक हिस्सा की कुल भूमि 3.03 बीधा में मेहरदीन के पुत्र 2/3 हिस्सा और पुत्रीया 1/3 प्राप्त करने की अधिकारी है मेहरदीन के हक हिस्सा की 3.03 बीधा में मेहरदीन के पुत्रों का 2.02 बीधा हक हिस्सा होगा और मेहरदीन की पुत्रीयो का 1.03 बीधा हक हिस्सा होगा वादीया एव प्रतिवादीगण की माता हुसना ने अपना हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग करने के उपरान्त प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.09 बीधा एव वादीया एव हलीमा दुसरी पुत्री प्रत्येक 0.07 बीधा का हक हिस्सा पाने के अधिकारी है।

स्पष्ट है कि मेहरदीन को विरास्तन से 3.03 बीधा का हक हिस्सा था जिसमें उनके वारिसान पत्नी , पुत्र पुत्रीया का मुस्लिम विधि अनुसार पुरूष 2/3 एव महिला 1/3 हिस्सा बनता है तथा वादीया एव प्रतिवादीगण की माता हुसना ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने पुत्रों के पक्ष में करने के वाद मेहरदीन के पुत्रो प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.09 बीधा एव पुत्रीया वादीया का 0.07 बिश्वा और दुसरी पुत्री हलीका का 0.07 बिश्वा भूमि पाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण मे दो राजीनामा हुए है एक राजीनामा को वादीया सही बता रही है दुसरे राजीनामा को प्रतिवादीगण सही बता रहे है राजीनामा पक्षकारो के मध्य समस्या समाधान के लिये बनाये जाते है हस्तगत प्रकरण में राजीनामा ही विवाद का करण है ऐसी स्थिति में दोनो ही राजीनामा को ईग्नार किया जाकर कानुन/विधि अनुसार जो हक हिस्सा बनता है वह उभयपक्ष पाने के अधिकारी है वादीया एव प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण मुस्लिम विधि अनुसार ही वादीया घोषणा करवा पाने की अधिकारी है अतः तनकी न0 1 वादीया के पक्ष मे साबित नही होने के कारण वादीया के विरूद्व तय की जाती हैं।

2. आया कि वादीया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे।? वादीया

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादीया पर था वादीया प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती है वादीया केवल अपने हक हिस्सा तक प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने की अधिकारी हे वर्तमान मे भूमि वादीया के नाम ही दर्ज है इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का कोई औचित्य नही है अतः तनकी न0 2 वादीया को विरूद्व तय की जाती है।

3. आया कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 3.2890हैक भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है में उतरदाता संख्या 1 ,2 बहिब 3/7 हिस्से व रोही मोजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 178/174 के प0न0 307/438 के किला न0 1 के पश्चिम दिशा में 0.8250 वर्गफुट भूमि की वादीया व शेष भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है कि घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।? प्रतिवादीगण

तनकी न0 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य राजीना[illegible] समझौता के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है प्रतिवादीगण [illegible] क्योकि वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य दो राजीनामा हुए है [illegible] तनकी न0 1 में किया जाकर दोनो की राजीनामा के अनुसार उभयपक्ष भूमि पाने के [illegible]धिकारी नही है क्योकि कि राजीनामा एक से अधिक होने की स्थिति मे दोनो राजीनामा को ईग्नोर किया जाकर वादीया एव प्रतिवादीगण कानूनन /विधि अनुरूप जो हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है उसी के अनुसार भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पाने के अधिकारी है जिसका पूर्ण विवेचन तनकी न0 1 में किया जा चुका है उसी अनुरूप वादीया भूमि पाने की अधिकारी है अतः तनकी न0 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में आशिक तौर से साबित होने के कारण आशिक स्वीकार की जाती है।

4. आया कि वादीया प्रतिवादगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। ? प्रतिवादी

तनकी न0 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण का कथन है वादीया प्रतिवादीगण को किसी भी निषेधाज्ञ से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही हैं वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि तक प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने की अधिकारी है अतः तनकी न0 4 आशिक स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य एक ही भूमि को लेकर दो राजीनामा हुए है एक राजीनामा को वादीया सही बता रही है दुसरे राजीनामा का प्रतिवादीगण सही बता रहे है अर्थात दोना राजीनामा एक दुसरे के विरोधाभाषी है राजीनामा उभयपक्षो के मध्य विवाद का निपटाने के लिये होते है हस्तगत प्रकरण में राजीनामा ही विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है ऐसी स्थिति में दोनो ही राजीनामा को ईग्नोर किया जाकर कानुनन जो हक हिस्सा होगा वही वादीया एव प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी है

मेहरदीन की हक हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के लिये वादीया ने मेहरदीन की दुसरी पुत्री हलीमा को कई भी पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उसके हक हिस्सा की मांग की गई है मेहरदीन के हक हिस्सा की भूमि में उसके वारिसान का मुस्लिम विधि के अनुसार हक हिस्सा पाने के अधिकारी है अर्थात मेहरदीन की दुसरी पुत्री हलीमा भी अन्य वारिसान की तरह हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।

तनकीयात में विवेचन किया जा चुका है कि वाद भूमि पूर्व में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व हलीमा के पूर्वज गन्नी खां पुत्र सुलेमान के नाम से दर्ज थी गनी खां रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के दोनो खाता में कुल 5.566हैक भूमि अर्थात 22.00 बीधा भूमि दर्ज थी गन्नी खां के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान निम्नप्रकार से हुए

साहिबा पत्नी गन्नी खां , जुलेखा , मलकीशा , बसीरा , रेशमा ,चार पुत्रीया और हनीफ , मेहरदीन दो पुत्र अर्थात गन्नीखा के नाम दर्ज भूमि के पत्नी , पुत्र पुत्रीया सात वारिस हुए गन्नी खॉ के नाम दर्ज भूमि उसके सातों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही होने पर बहिब प्रत्येक लगभग 3.03 बीधा भूमि के हकदार हुए और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

गन्नीखां की पुत्री मलकीशा , रेशमा , बसीरा एव गन्नी की पत्नी साहिबा चारो ने अपना हक हिस्स मेहरदीन , हनीफ भाई/पुत्र के पक्ष मे परित्याग कर दिया था , जुलेखा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नही किया गया था

उपरोक्त हकत्याग के उपरान्त गन्नीखां के वारिसान के जुलेखां के पास 3.03 बीधा, मेहरदीन, रोशन , रफीक के पास 9.18 बीधा , हनीफ के पास 9.18 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी गन्नी खा के पुत्र मेहरदीन व हनीफ को गन्नीखां के देहान्त होने पर 303 बीधा प्रत्येक का हक हिस्सा था मेहरदीन व हनीफ की बहनों /मॉ ने हक त्याग करने के उपरान्त उक्तानुसार हिस्सा दर्ज हुआ है।

मेहरदीन के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान उसकी पत्नी हुसना , पुत्रीया हलीमा , रसीदा व पुत्र रफीक , रोशन हुए जो मेहरदीन की 3.03 बीधा भूमि जो गन्नीखां के देहान्त होने के बाद विरास[illegible] प्राप्त हुई थी में ही हक प्राप्त करने के अधिकारी है हकत्याग से प्रा[illegible] के अधिकारी नही है

मेहरदीन के हक हि[illegible] मुस्लिम विधि के अनुसार पुरूषो को 2/3 हिस्सा व महीलाओ को 1/3 हिस्सा का अधि[illegible]र होता है।

मेहरदीन के हक हिस्सा की 3.03 बीधा में पुरूष पुत्रो का 2/3 हिस्सा अर्थात प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा अर्थात 2.02 बीधा का हक हिस्सा होगा और महिलाओं का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/3 हिस्सा अर्थात वादीया रसीदा , मेहरर्दन की दुसरी पुत्री हलीका एव पत्नी हुसना का 1/3 हिस्सा होगा 1.03 बीधा का हक हिस्सा होगा अर्थात मेहरदीन की दोनो पुत्रीया का 0.07 बिश्वा प्रत्येक का व पत्नी का 0.07बिश्वा का हक हिस्सा होगा तथा मेहरदीन की पत्नी हुसना ने अपने हक हिस्सा का परित्याग अपने पुत्रो के पक्ष में करने पर पुत्रो का हिस्सा 2.09 बीधा दोनो का व पुत्रीयों प्रत्येक का 0.07 बिश्वा होगा इसी अनुसार मेहरदीन के वारिसान भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अत: वादीया का वाद एव प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम साक्ष्य सबुतों एव मुस्लिम विधि के प्रावधानो के अनुसार आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 3.2890हैक में सयुक्त तौर से वादिया अकेली 0.0506हैक व व हलीमा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर 0.0506हैक एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.3686हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 178/174 की कुल 2.2770हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादीया अकेली 0.03795हैक व हलीमा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर 0.03795हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.2494हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है बैक ऋण यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रसीदा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर

वादीया

बनाम

1. रोशन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर।
2. रफीक पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 18 नोहर तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 522 सन 2017 निर्णय दिनांक–11/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीया एव अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीया का वाद एव प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/173 की कुल 3.2890हैक में सयुक्त तौर से वादिया अकेली 0.0506हैक व व हलीमा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर 0.0506हैव एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.3686हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 178/174 की कुल 2.2770हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादीया अकेली 0.03795हैक व हलीमा पुत्री मेहरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर 0.03795हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.2494हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है बैक ऋण यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:23 IST
Reason: SelfAttested